HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 601/2025

Sunderlal S/o Lt. Shir Kundanlal, Aged About 66 Years, R/o Bakhtal Ki Chawki, Pathroda Ka Bas, Gram Diwakari, Tehsil And District-Alwar, Rajasthan.

----Appellant

Versus

1. Pushpendra Kumar Khandelwal S/o Shri Jadish Prasad Khandelwa, Aged About 41 Years, R/o House No. A-181, Hasan Kha, Mewat Nagar, Alwar (Raj.).
2. Deepak Gera S/o Shri Kushal Chand Gera, Aged About 44 Years, R/o 912, Scheme No. 10, Alwar (Raj.).

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Lakshya Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Gajender Singh Rathore

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

06/01/2026

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2025 पेश कर स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 1422/2025 पर समुचित आदेश पारित करने के सम्बन्ध में पेश किया गया है। आज स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई की जा रही है, अतः यह प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2025 निस्तारित किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या **1422/2025** पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अपीलार्थी/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी/वादी/डिक्रीदार द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने इकरारनामा की विशिष्ट अनुपालना का आदेश नहीं दिया परंतु 14 लाख 80 हजार रूपये की राशि और उस पर ब्याज की डिक्री पारित कर दी जिसके निष्पादन की कार्यवाही स्थगित किए जाने योग्य है। उनका तर्क है कि वादपत्र में वादी ने कहीं भी प्रतिकर की मांग नहीं की है और धारा 21(5) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत यदि विशिष्ट रूप से प्रतिकर का अनुतोष नहीं मांगा गया

है तो न्यायालय यह अनुतोष नहीं दिलवा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि तथाकथित राशि 14 लाख 80 हजार रूपये वास्तविकता में वादीगण ने एक भागीदारी फर्म में निवेशित किए थे जिसमें अपीलार्थी/प्रतिवादी का बेटा राजेश भागीदार था। अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दी गई, ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध यह डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। उनका यह भी तर्क है कि जो भी राशि सम्बन्धी विवाद है वह भागीदारों के मध्य भागीदारी से सम्बन्धित विवाद है और भागीदारी विलेख में मामलों को सुलझाने के लिए अलग से प्रावधान किए हुए हैं। उनका तर्क है कि तथाकथित भागीदारी फर्म अभी विघटित भी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में किसी राशि की डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। अतः पारित डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को स्थगित किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादी/डिक्रीदार का तर्क है कि इकरारनामा में ही विवादित फर्म को विक्रय करने का करार किया जाना अंकित है और उसी में स्वयं अपीलार्थी सुंदरलाल ने आठ लाख रूपये स्वयं प्राप्त करने की रसीद भी दी है जो कि विक्रय मूल्य के भाग के पेटे प्राप्त करना अंकित किया हुआ है जबकि प्रतिपरीक्षा में भी सुंदरलाल डी0ड01 ने यह स्वीकार किया है कि उसने 14 लाख 80 हजार रूपये की राशि व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की थी। अपने कथन में अपीलार्थी ने इकरारनामा पर अपने हस्ताक्षर होना, उसमें अंकित रसीद पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने इकरारनामा की विशिष्ट अनुपालना को उचित नहीं मानकर विक्रय मूल्य की राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है, अतः किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाए। उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय ने जो राशि दिलवाई है वह प्रतिकर नहीं है वरन विक्रय मूल्य जो अदा किया गया था उसे ही वापिस लौटाने का आदेश दिया गया है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

वाद संविदा की विशिष्ट अनुपालना का है। इकरारनामा दिनांक 22.01.2016 पर हस्ताक्षर होना अपीलार्थी द्वारा स्वीकारा गया है, इस पर राशि विक्रय मूल्य के पेटे दिए जाने का अंकन है। विचारण न्यायालय ने विशिष्ट अनुपालना की डिक्री विवेकाधीन होने (discretionary) के कारण पारित नहीं की है और न्यायालय

ने यह मानकर कि प्रतिवादी ने वादीगण से रूपये प्राप्त कर उनका उपयोग–उपभोग किया है तथा इस आशय की स्वीकारोक्ति सुंदरलाल अपीलार्थी ने अपने कथन में की है, उक्त डिक्री पारित की है। किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से धनी होने की अनुमति (Unlawful enrichment) नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में जबकि राशि प्राप्त करने सम्बन्धी प्रथम–दृष्टया स्वीकारोक्ति अपीलार्थी की रही है, उक्त धनराशि हेतु पारित की गई डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में **सम्पूर्ण** डिक्रीशुदा राशि **एक माह** की अवधि में जमा करवाये जाने की शर्त पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की क्रियान्विति स्थगित की जाती है।

इस आदेश की पालना में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा आदेशित राशि जमा कराने पर जमाशुदा राशि में से **10,00,000 रूपये (अक्षरे दस लाख रूपये) की राशि** प्रत्यर्थी–वादी/ डिक्रीदार को इन तथ्यों का वचन (Undertaking) प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि अपीलार्थीगण इस अपील में सफल होते हैं, तो उस स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः अपीलार्थीगण को **6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** दर के साथ अपील के निर्णय के **एक माह** की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे।

शेष राशि, प्रथमतः **एक वर्ष** के लिये किसी राष्ट्रीकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी तथा तत्पश्चात अपील के निस्तारण तक नियमानुसार उसका समय–समय पर नवीनीकरण (auto-renewal) कराया जाए। इस न्यायालय के आदेश के बिना उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /46